संख्या-44/2015/1068/26-3-2014-4(358)/07-टी.सी.-4

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 ल खनऊ, दिनांकः 12 मई, 2015

विषयः- दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पी0एफ0एम0एस0 सर्वर से रिस्पान्स प्राप्त न होने के कारण लम्बित देयता को वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से भुगतान की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-126/स0क0/शिक्षा0-अ/2015-16 दिनांक 10.04.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली (पब्लिक फाइनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम साफटवेयर) के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया में साफटवेयर से रिस्पान्स प्राप्त न होने के कारण देय धनराशि रूपया-998.43 करोड़ (रूपया-नौ अरब अठानवे करोड़ तैतालीस लाख मात्र) की धनराशि को चालू वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 83 में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) उक्त धनराशि का भुगतान पात्र छात्र-छात्राओं को सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार किया जायगा।

(2) छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने से पूर्व उनकी पात्रता का सत्यापन करा लिया जायगा, उनकी पात्रता सुनिश्चित होने पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी, इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होने पर आप स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(3) गत वर्ष की लम्बित देयता की धनराशि का भुगतान उन्ही पात्र छात्र-छात्राओं को किया जायगा जिन्हे ट्रान्जेक्शन फेल होने तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण नहीं किया जा सका है। धनराशि का भुगतान वित्तीय समाप्ति के पूर्व कर लिया जायगा, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिये अग्रेनीत नहीं किया जायगा। इसमें किसी भी प्रकार की विचलन होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-44/2015/1068(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

3-वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

4-राज्य योजना आयोग-1/2

5-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ।

6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

7-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।